**न्यायालय–प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम (म.प्र.)**
**(पीठासीन अधिकारी :– दिनेश कुमार नोटिया)**

प्रकरण क्रमांक – सी.आर.ए./24/2026
सी.एन.आर. नंबर – एम.पी. 0501001857–2026
फाईलिंग नंबर – सी.आर.ए./1423/2026
संस्थित दिनांक – 24.04.2026

01. आशुतोष शरण तिवारी आयु 55 वर्ष पिता स्व. अंजनी शरण तिवारी निवासी ग्राम रामपुर तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

02. रीना तिवारी आयु 45 वर्ष पत्नी आशुतोष शरण तिवारी निवासी ग्राम रामपुर तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

..... **अपीलार्थीगण/अनावेदकगण**

**विरूद्ध**

01. उर्वशी तिवारी आयु 50 वर्ष पत्नी स्व. अखिलेश शरण तिवारी

02. आर्या तिवारी आयु 17 वर्ष अवयस्क पुत्र स्व. अखिलेश शरण तिवारी

03. आदि शरण तिवारी आयु 14 वर्ष अवयस्क पुत्र स्व. अखिलेश शरण तिवारी दोनों नाबालिक द्वारा बली मां अभिभावक वादमित्र उर्वशी तिवारी पत्नी स्व. अखिलेश शरण तिवारी, तीनों निवासी सेंट जोसफ अस्पताल के पास अन्नपूर्णा नगर आई.टी.आई. रोड नर्मदापुरम तहसील व जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

..... **प्रत्यर्थीगण/आवेदकगण**

---

न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम (सुश्री स्वाती कौशल) के न्यायालय के **M.J.C.R.No.-528/2025, Filing No.-1423/2026, CNR No. MP0501001857-2026 & Filing Date-22-04-2026)** उर्वशी व अन्य विरूद्ध आशुतोष व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.04.2026 से उद्भूत दाण्डिक अपील।

---

(एतमिन पश्चात आलोच्य आदेश)

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री पारस जैन अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री नमन यादव अधिवक्ता।

// <u>निर्णय</u> //

// <u>आज दिनांक 07.08.2026 को घोषित</u> //

**01–** विविध आपराधिक प्रकरण क्रमांक–528/2025 उर्वशी तिवारी व अन्य बनाम आशुतोष शरण तिवारी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम सुश्री श्वाती कौशल द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियम 2005 के अतर्गत प्रस्तुत मामले में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13.04.2026 से व्यथित होकर अधिनियम की धारा–29 के तहत अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण/आवेदकगण का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

**02–** अपील के पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर सुविधा की दृष्टि से अपीलार्थीगण को 'अनावेदकगण' व प्रत्यर्थीगण को पक्ष को 'आवेदकगण' लिखा गया है।

**03(क)–** विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदकगण का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्रमांक–01 स्वर्गीय अखिलेश शरण तिवारी की पत्नी तथा आवेदक क्रमांक–02 व 03 उनके (स्वर्गीय अखिलेश शरण तिवारी) पुत्र–पुत्री है। दिनांक–25.02.2007 को उसका (आवेदिका उर्वशी) विवाह हिन्दू रीति रिवाज अनुसार स्वर्गीय अखिलेश शरण तिवारी के साथ संपन्न हुआ था, दिनांक 16.10.2024 को इलाज के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई है, उनके अतिरिक्त स्वर्गीय अखिलेश शरण तिवारी के अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। अनावेदक क्रमांक–01 आशुतोष शरण तिवारी, उसके पति अखिलेश शरण तिवारी के बडे भाई तथा अनावेदक क्रमांक–02 श्रीमती रीना तिवारी भाभी है, जो ग्राम रामपुर तहसील इटारसी जिला नर्मदापुरम में निवासरत है। स्वर्गीय अखिलेश शरण तिवारी तथा आशुतोष शरण तिवारी के पिता स्वर्गीय अंजनी शरण तिवारी ग्राम रामपुर तहसील इटारसी जिला

नर्मदापुरम के मालगुजार थे, जिनकी कई गांवों में कृषि भूमियां थी, उसके पति तथा जेठ के मध्य पारिवारिक बंटवारा हो चुका है, अनावेदक क्रमांक–01 एवं 02 नें उसके पति को प्राप्त होने वाली चल अचल संपत्ति पर कब्जा कर उन्हें बेदखल कर दिया है, जिससे वे उपयोग एवं उपभोग से वंचित हो गये है।

**03(ख)–** ग्राम रामपुर के अलावा उसके पति की ग्राम भटवाडा तहसील माखन नगर जिला नर्मदापुरम में कृषि भूमि तथा शहर इटारसी दीनदयाल नगर में 1614 वर्गफिट का मकान है, अनावेदकगण ने उनके हक, अधिकार की भूमि पर कब्जा कर भूमि 70,000/– रुपये प्रति एकड की दर से 28,00,000/–रूपये सिकमी पर दी है, जिससे अर्जित आय का भुगतान अथवा कब्जा दिलाया जाना आवश्यक है, अनावेदकगण ने उसके पति द्वारा क्रय किया गया सोना–चांदी भी देने से इंकार कर दिया है, उनके पास अजीविका का कोई साधन नहीं है, ग्राम रामपुर स्थित मृतक अखिलेश शरण तिवारी के नाम के भवन में बैंक ऑफ इंडिया संचालित हो रही है, जिसका किराया भी अखिलेश शरण तिवारी के खाते में आता है जिनका नॉमिनी उसका पुत्र है, लेकिन इसके बावजूद भी अनावेदक क्रमांक–01 ने राशि आहरित की है, वे उसके पति का आधार कार्ड, ए.टी.एम. एवं अन्य दस्तावेज का उपयोग, उपभोग कर रहे है, मीनाक्षी चौंक स्थित भारतीय स्टेट बैंक खाता क्रमांक 428202281225 उसके पति के नाम से है, जिसका संचालन अनावेदक कर रहे है, उसके जेठ आशुतोष शरण का पुत्र अस्तित्व शरण तिवारी शेयर बाजार का कार्य करता है, उसके पति स्वर्गीय अखिलेश शरण तिवारी अस्तित्व शरण तिवारी के माध्यम से शेयर बाजार में पैसा लगाते थे, जो उसके पति के खाते में जमा होता था, जिसे भी उसके पति की मृत्यु उपरांत आहरित किया गया है।

**04–** आवेदिका क्रमांक–01 विधवा, घरेलू महिला है, उसकी आय का कोई स्त्रोत नहीं है, उसकी आय के सभी स्त्रोत अनावेदकगण के कब्जे में है, आवेदक क्रमांक–02 ने कक्षा 12 पास की है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण

वह मेडिकल की पढाई करने में असमर्थ है, उसके बच्चों की उच्च शिक्षा के कोई साधन नहीं है, अनावेदकगण अखिलेश शरण तिवारी की मृत्यु दिनांक 16.10.2024 के पश्चात से लगातार आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर रहे है, आवेदन पत्र स्वीकार कर उनकी (आवेदकगण) भूमि का आधिपत्य दिलवाये जाने तथा भूमि की सिकमी राशि, बैंक दुकानों का किराया खातो में जमा कराये जाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इसके साथ प्रकरण के अंतिम निराकरण तक 1,00,000/– रुपये प्रतिमाह दिलवाये जाने के लिये धारा–20 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे विचारण न्यायालय ने आलोच्च आदेश से आशिकतः स्वीकार किया है।

**05–** अनावेदकगण ने जवाब प्रस्तुत कर आवेदन पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया है, जवाब में लेख किया है कि विवाह के बाद से ही आवेदक क्रमांक–01 उर्वशी तिवारी अखिलेश शरण तिवारी के साथ दुर्व्यवहार करती थी, दिनांक 13.07.2007 को जब उसकी सास की गंभीर स्थिति थी, तब वह झगडा कर अपने पति अखिलेश शरण तिवारी तथा अन्य सभी का परित्याग कर होशंगाबाद में पृथक निवास करने लगी थी। अखिलेश शरण तिवारी ने उसके विरूद्ध हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा–13 के तहत आवेदन पत्र पेश किया था, वे कभी भी मृतक अखिलेश शरण तिवारी के साथ एक छत के नीचे वास्तविक एवं सुखद तौर पर निवासरत नहीं रहे है, श्रीमती उर्वशी तिवारी, स्वर्गीय अखिलेश शरण तिवारी के पारिवारिक सदस्यों से नफरत करती थी, उसका व्यवहार ठीक नहीं था, उसके पति को लीवर सिरोयसिस था, उसने कभी भीं अपनी पति की सेवा, सहायता, देख–रेख सहयोग नहीं किया है, अखिलेश शरण तिवारी के इलाज में करीब एक करोड रुपये व्यय हुआ है, स्वर्गीय अखिलेश शरण तिवारी को मृत्यु का आभास था, उसने दिनांक 11.08.2024 को अपने भाई आशुतोष शरण तिवारी के पक्ष में वसीयत निष्पादित की थी, जिससे कि अखिलेश शरण तिवारी के स्वत्व की चल–अचल संपत्ति को लेकर वाद–विवाद न हो, उसके भाई द्वारा निष्पादित की गई वसीयत को लेकर व्यवहार वाद 53ए/2025 इटारसी न्यायालय में

लंबित है, आवेदकगण चल–अचल सम्पत्ति अथवा राशि प्राप्त करने के पात्र नहीं है, आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जाने का निवेदन किया है।

**06–** अपीलार्थीगण/अनावेदकगण ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश को अपील में इन आधारों पर चुनौती दी है कि :– पीडिता/प्रत्यर्थी तथा उसके पति मृतक अखिलेश शरण तिवारी की मृत्यु के काफी वर्ष पूर्व से पृथक पृथक निवासरत है, वे कभी भी एक साथ एक छत के नीचे निवासरत नहीं रहे है, उनके मध्य घरेलू नातेदारी नहीं रही है, अपीलार्थी/अनावेदक पीडिता का जेठ है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा–20 के तहत भरण पोषण का निर्देश पीडिता के पति, पिता पुत्री या दत्तक जैसा रिश्ता होने पर ही दिया जा सकता है, उसके विरूद्ध भरण पोषण राशि का आदेश विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, अपीलार्थी/अनावेदक को उसके (पीडिता) पति की संपत्ति से आय की कोई साक्ष्य नहीं है, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने अनदेखा किया है, विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध नैर्सर्गिक न्याय के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

**07–** प्रत्यर्थीगण/आवेदकगण की ओर से विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश उचित सम्यक् आधारों पर होने से अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

**08–** इस अपील के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है :–

1. क्या विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 13.04.2026 विधि या तथ्य की भूल से अंर्तग्रस्त है ? यदि हां तो –
2. क्या अपील स्वीकार किये जाने योग्य है ?

## सकारण विवेचना एवं निष्कर्ष

## विचारणीय प्रश्न कमांक–01 लगायत 02

**09–** उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये, विद्वान विचारण न्यायालय के

आलोच्य आदेश एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

**10–** अपीलकर्ता ने Special Leave Petition (Criminal) No. 34053/2019 Date 16/09/2016 Kamla Devi V/s Jaipal & others, की छायाप्रति के आलोक में मुख्यतः यह तर्क किया है कि उनके तथा आवेदिका/प्रत्यर्थी के मध्य साझा गृहस्थी नहीं है, वे आवेदिका/प्रत्यर्थी के जेठ–जेठानी है, पति की मृत्यु उपरांत आवेदिका/प्रत्यर्थी तथा उसके बच्चों के भरण पोषण का वैधानिक दायित्व उनका नहीं है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरंक्षण अधिनियिम 2005 अथवा हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम में भी जेठ को ऐसा दायित्व का वहन करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है, विचारण न्यायालय द्वारा 10,000/–रूपये प्रतिमाह की राशि प्रदान किया जाना विधि विरूद्ध है।

**11–** इसके विपरीत अनावेदिका/प्रत्यर्थी की ओर से तर्क किया गया है कि उसके पति की मृत्यु के पश्चात अपीलकर्ता ने मृतक के हिस्से की कृषि भूमि एवं व्यवसायिक भवन पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है, तथा उससे प्राप्त समस्त आय स्वयं प्राप्त कर रहा है, आवेदिका/प्रत्यर्थी तथा उसके दोनों बच्चे उक्त आय से पूर्णतः वंचित है, विद्वान विचारण न्यायालय ने न्यायोचित परिस्थितियों पर विचार कर अंतरिम राहत दी है, अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

**12–** हस्तगत मामले में इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी क्रमांक–01 स्वर्गीय अखिलेश शरण तिवारी की वैध विवाहिता पत्नी तथा प्रत्यर्थी क्रमांक–02 एवं 03 उनकी संतान है, यह भी निर्विवादित तथ्य है कि अनावेदक आशुतोष शरण तिवारी मृतक अखिलेश शरण तिवारी का भाई तथा रीना तिवारी उसकी भाभी है, अखिलेख शरण तिवारी की मृत्यु के पश्चात पक्षकारों के मध्य संयुक्त पारिवारिक संपत्ति, कृषि भूमि तथा अन्य परिसंपत्तियों के उपयोग एवं अधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है, इसलिये इस प्रक्रम पर यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदक तथा अनावेदकगण की साक्षा गृहस्थी नहीं थी, ऐसी स्थिति में संदर्भित

न्यायदृष्टांत जिसकी तथ्य एवं परिस्थितियां हस्तगत मामले की तथ्य एवं परिस्थितियों से भिन्न है, के आलोक में साक्षा गृहस्थी न होने का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

**13–** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभा त्यागी विरूद्ध कमलेश देवी (2022) 8 एस.सी.सी. 90** में अभिनिर्धारित किया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एक सामाजिक कल्याण एवं लाभकारी अधिनियम है जिसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिये कि जिससे पीडित महिला को प्रभावी, सरंक्षण एवं वास्तविक राहत प्राप्त हो सके। न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की व्याख्या संर्कीण दृष्टिकोण से नहीं की जा सकती है, अधिनियम के तहत उपलब्ध राहतो का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्य एवं परिस्थिति के आधार पर किया जाएगा।

**14–** इसी प्रकार **कुनप्पा रेड्डी उर्फ नुकाला शांका बालाजी विरूद्ध कुनप्पा रेडडी स्वर्ण कुमारी (2016) 11 एस.सी.सी. 774** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य पीडित महिला को प्रभावी एवं त्वरित राहत उपलब्ध कराना है। अंतरिम स्तर पर न्यायालय को उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्रथम दृष्टया संतुष्टि होने पर आवश्यक अंतरिम संरक्षण एवं राहत प्रदान करने का अधिकार है।

**15–** निः संदेह पति की मृत्यु के पश्चात विधवा और उसके बच्चों का नियमित भरण–पोषण का स्वतंत्र वैधानिक दायित्व केवल इस कारण जेठ पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है कि वह मृतक का भाई है, इस मामले में विचारण न्यायालय ने केवल रिश्ते के आधार पर दायित्व निर्धारित नहीं किया है बल्कि इस प्रथमदृष्टया तथ्य को आधार बनाया है कि मृतके के हिस्से की सम्पत्ति से प्राप्त आय का लाभ अपीलकर्ता अकेले प्राप्त कर रहा है, उसने आवेदिका तथा उसके बच्चों को उस आय से वंचित रखा है।

**16–** घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा–03 में

"Economic Abuse" को घरेलू हिंसा का एक स्वरूप माना गया है, अधिनियम की धारा–20 के तहत मौद्रिक राहत तथा धारा–23 के तहत अंतरिम राहत प्रदान करने का उददेश्य पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम निर्धारण करना नहीं है, बल्कि प्रथमदृष्टया उपलब्ध सामग्री के आधार पर पीडित महिला एवं आश्रित बच्चों को तत्काल आर्थिक सरंक्षण प्रदान कराना है, इसलिये इस स्तर पर यह निष्कर्ष निकाला जाना कि अपीलकर्ता पर अंतिम रूप से कोई दायित्व है अथवा नहीं, उचित नहीं है।

**17–** स्वर्गीय अखिलेश शरण तिवारी की मृत्यु होने के उपरांत प्रत्यर्थीगण स्वयं को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति एवं उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक संशाधनों से वंचित होना बता रहे है, विचारण न्यायालय ने उपलब्ध सामग्री का परीक्षण कर प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष दिया है कि प्रत्यर्थीगण के जीवन निर्वाह के लिये अंतरिम आर्थिक सहायता आवयश्क है, विचारण न्यायालय का आलोच्च आदेश केवल अंतरिम प्रकृति का है, वसीयतनामे की वैधता, संयुक्त परिवारिक संपत्ति में अधिकार एवं स्वामित्व सबंधी विवाद साक्ष्य के विषय है जिनका अंतिम निर्णय साक्ष्य उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है, अर्थात इन विवादों का अंतिम परीक्षण धारा–23 के तहत पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध इस अपील में नहीं किया जा सकता है।

**18–** विधि का स्थापित सिद्धांत है कि अपील न्यायालय अंतरिम विवेकाधीन आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जबकि आदेश स्पष्टतः मनमाना विधि विरूद्ध अथवा प्रत्यक्षतः अवैध हो, अभिलेख से यह दर्शित नहीं है कि विचारण न्यायालय ने विवेक का मनमाना अथवा विधि विरूद्ध उपयोग किया है, विचारण न्यायालय ने अंतरिम भरण पोषण निर्धारित करने समय उपलब्ध सामग्री पर विचार किया है, आलोच्य आदेश में ऐसी कोई विधिक त्रुटि अथवा गंभीर अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, जिसके कारण इस न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो।

**19–** अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश न्यायोचित एवं

विधि सम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार नहीं है। फलतः अपीलार्थीगण/अनावेदकगण द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा–29 के तहत प्रस्तुत की गई अपील निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2026 की पुष्टि की जाती है।

**20–** यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अपील एवं अंतरिम निराकरण तक सीमित है, तथा इनका पक्षकारों के उत्तराधिकार, स्वामित्व अथवा सम्पत्ति में हिस्सेदारी के अंतिम अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। विचारण न्यायालय प्रकरण का निर्णय प्रकरण में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से करेगा।

**21–** निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/–

**(दिनेश कुमार नोटिया)**
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म.प्र.)

मेरे आलेख पर टंकित किया गया।

सही/–

**(दिनेश कुमार नोटिया)**
प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश
नर्मदापुरम (म.प्र.)

DINESH KUMAR NOTIYA
Digitally signed by DINESH KUMAR NOTIYA
Date: 2026.08.07 16:37:32 +0530